



रोज़गार समाचार



खंड 44 अंक 46 पृष्ठ 40

नई दिल्ली 15 - 21 फरवरी 2020

₹ 12.00

आर्द्ध भूमि : महत्व और संरक्षण

डॉ. अभिषेक स्वामी

आर्द्ध भूमि या वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी मिट्टी की सतह पर या वर्ष के दौरान अलग-अलग समय के लिए मौजूद रहता है, जिसमें बदलते मौसम का दौर भी शामिल है। जल संतुष्टि (जल विज्ञान) काफी हद तक यह निर्धारित करती है कि मिट्टी कैसे विकसित होती है और पौधे तथा विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु किस तरह से मिट्टी के भीतर और धरती पर रहते हैं। आर्द्ध भूमि जलीय और स्थलीय दोनों प्रजातियों को जीने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। पानी की लंबे समय तक उपस्थिति ऐसी स्थितियां बनाती हैं जो विशेष रूप से अनुकूलित पौधों (हाइड्रोफाइट्स) के विकास के पक्ष में होती हैं और विशेषता आर्द्धभूमि (हाइड्रिक) मिट्टी के विकास को बढ़ावा देती है।

आर्द्धभूमि प्राकृतिक रूप से हर महाद्वीप पर पाई जाती है। आर्द्धभूमि के मुख्य प्रकारों में दलदली, कच्छ भूमि, कीचड़ और फेन शामिल हैं। इसके उप-प्रकारों में मैंग्रोव वन, फ्लॉटलेन्स, मायर, वर्नल पूल, सिंक और कई अन्य शामिल हैं। कई नरम कोयला भूमि आर्द्धभूमि हैं। आर्द्धभूमि में पानी मौठा या खारा या लवणीय है। आर्द्धभूमि ज्वारीय (ज्वार से पानी में घिर सकती है) या गैर-ज्वारीय हो सकती है। सबसे बड़े आर्द्धभूमि क्षेत्रों में अमेरिन नदी बेसिन, पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, दक्षिण अमेरिका में पैटानल और गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि परिस्थितिकी आकलन ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि पृथ्वी पर किसी भी अन्य परिस्थितिकी तंत्र की तुलना में आर्द्धभूमि प्रणालियों में पर्यावरणीय गिरावट का जोखिम सबसे अधिक है। निर्मित आर्द्धभूमि का उपयोग नगरपालिका और औद्योगिक अपरिस्थित जल के साथ-साथ तूफानी जल अपवाह के उपचार के लिए किया जाता है। वे पानी के प्रति संवेदनशील शहरी डिजाइन में भी भूमिका निभा सकते हैं।

आर्द्धभूमि की श्रेणियां

आर्द्धभूमि, मृदा, स्थलाकृति, जलवायु, जल विज्ञान, जल रसायन और वनस्पति में क्षेत्रीय और स्थानीय अंतर और अन्य कारकों, जिनमें मानव गड़बड़ियां भी शामिल हैं, की वजह से आर्द्धभूमि क्षेत्रों का प्रसार व्यापक है। दरअसल, आर्द्धभूमि क्षेत्र टुंड्रा से उष्णकटिबंधीय तक और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आर्द्धभूमि की दो सामान्य श्रेणियां मानी जाती हैं: तटीय या ज्वारीय आर्द्धभूमि और अंतर्देशीय या गैर-ज्वार आर्द्धभूमि।

तटीय/ज्वारीय आर्द्धभूमि

संयुक्त राज्य अमेरिका में तटीय/ज्वारीय आर्द्धभूमि क्षेत्र, जैसा कि इसके नाम से ध्वनित होता है, अटलांटिक, प्रशांत, अलास्का और खाड़ी तटों के साथ पायी जाती है। ये क्षेत्र हमारे देश के मुहायनों से जुड़े हुए हैं जहां समुद्र का पानी ताजे पानी के साथ मिलकर अलग-अलग तरह की लवणीय भूमि का वातावरण बनाता है। खारा पानी और उत्तर-चढ़ाव के जल स्तर (ज्वारीय क्रिया की वजह से) के कारण अधिकांश पौधों के लिए वातावरण प्रतिकूल बन जाता है। नतीजतन, कई उथले तटीय क्षेत्र वनस्पति रहित मिट्टी के सपाट या रेत के सपाट स्थल बन जाते हैं। कुछ पौधे, हालांकि, इस पर्यावरण के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलित हैं। कुछ घास और घास के पौधे जो नमकीन



स्थितियों के अनुकूल होते हैं, वे ज्वार नमक दलदल बनाते हैं जो अटलांटिक, खाड़ी और प्रशांत तटों के साथ पाए जाते हैं। मैंग्रोव आप्लावित, लवण-प्रिय झाड़ियां या पेड़ों के साथ, उष्णकटिबंधीय जलवायु में सामान्य हैं, जैसे कि दक्षिणी फ्लोरिडा और घूर्टों रिको इसका उदाहरण हैं। ज्वार के मीठे पानी के ऊपरी किनारों से परे कुछ ज्वार के ताजे पानी के आर्द्ध क्षेत्र बनते हैं जहां नमक के पानी का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

अंतर्देशीय/गैर-ज्वारीय आर्द्धभूमि

नदियों और धाराओं के बाढ़ के मैदानों (टटवर्ती आर्द्धभूमि), शुष्क भूमि (उदाहरण के लिए, प्लेआस, बेसिन और गढ़े) से घिरे पृथक अवसादों, झीलों और तालाबों के हाशियों, और अन्य निचले इलाकों में जहां भूजल मिट्टी की सतह को तरल करता है या जहां वर्षा पर्याप्त रूप से मिट्टी (वर्नल पूल और बोग्स) को संतुष्ट करती है, वहां अंतर्देशीय/गैर-ज्वारीय आर्द्धभूमि सर्वार्थिक सामान्य हैं। अंतर्देशीय वेटलैंड में दलदली और गीली घास के मैदानों में जड़ी-बूटियों के पौधों का वर्चस्व, झाड़ियों पर हावी दलदलों और पेड़ों पर हावी लकड़ी के दलदल शामिल हैं। कुछ प्रकार की अंतर्देशीय आर्द्धभूमि देश के विशेष क्षेत्रों में सामान्य रूप से पायी जाती है। अधिक जानकारी के लिए, वेटलैंड वर्गीकरण और प्रकार की पूरी सूची देखें।

इनमें से कई वेटलैंड मौसमी हैं (वे हर साल एक या अधिक मौसमों में सूखा जाती हैं), और वे विशेष रूप से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क पश्चिम में, केवल समय-समय पर आर्द्ध हो सकती हैं। विद्यमान पानी की मात्रा और उस हिस्से में इसकी उपस्थिति का समय किसी आर्द्धभूमि के कार्यों और पर्यावरण में इसकी भूमिका को निर्धारित करता है। यहां तक कि आर्द्धभूमि जो वर्ष के महत्वपूर्ण भागों के लिए कई बार सूखी दिखाई देती है - जैसे कि वर्नल पूल - अक्सर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रजनन के लिए अनुकूलित वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान होते हैं।

आर्द्धभूमि का महत्व क्या है?

आर्द्धभूमि क्षेत्रों को विशिष्ट परिस्थितिकी विशेषताओं वाली भूमि माना जाता है जो मानवता को कई उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। आर्द्धभूमि द्वारा प्रदान किए गए परिस्थितिकी उत्पादों में मुख्य रूप से शामिल हैं - सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर-लकड़ी वन उत्पाद, जल

- श्रीनगर, भोपाल, बैंगलुरु, चेन्नै और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में झीलों और तालाबों का एक बड़ा नेटवर्क बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया था।
- इसके अलावा, समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पश्चिमी तट पर तटीय वातावरण को बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर आने वाले चक्रवातों के बिनाश से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट:** आर्द्धभूमि क्षेत्र प्रजातियों की विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्धभूमि एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है और जहां पोषक तत्वों की रीसाइकिलिंग हो सकती है, वे खाद्य श्रृंखलाओं के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत में झीलें, नदियां और मीठे पानी के अन्य निकाय लगभग सभी वर्गीकरण समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बायोटा की एक बड़ी विविधता को आश्रय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अकेले पश्चिमी घाट के मीठे पानी की परिस्थितिकी में मछलियों की 290 प्रजातियां हैं। इसी तरह, लोकतक झील लुप्तप्राय सांगई (मणिपुर ब्रो-एंटीलर्ड हरिण) की एकमात्र शरणस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है।
- आर्द्धभूमि घरेलू और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र भी हैं। भारत के ऐसे कई आर्द्ध क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में भरतपुर वन्य जीवन अभ्यारण, और कच्छ का छोटा रण और गुजरात में सौराष्ट्र का तटीय इलाका, पश्चिमी और यूरोपीय क्षेत्रों से साइबेरियन क्रेन सहित पक्षियों की कई प्रवासी जातियां संदियों के दौरान आती हैं।
- सॉर्स क्रेन, काली गर्दन वाली क्रेन, गंगा नदी डॉल्फिन, भारतीय मिट्टी का कछुआ और पक्षियों और जीवों की कई लुप्तप्राय प्रजातियां, आर्द्धभूमि से भोजन पाती हैं और उसमें रहती हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, भारत से प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों की अनुमानित संख्या 1200 से 1300 के बीच दर्ज है, जो भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 24 प्रतिशत है।
- पर्यटन:** कोरल रीफ्स, समुद्र तट, जलाशयों, झीलों और नदियों जैसी आर्द्ध भूमि देश में पर्यटन के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
- एक अनुमान के अनुसार, हर साल, लगभग 70 लाख लोग पर्यटक के रैकल के बैकवाटर, समुद्र तटों और वन्यजीव अभ्यारणों की यात्रा करते हैं, 30 लाख लोग उत्तराखण्ड की झीलों और अन्य प्राकृतिक आर्द्धभूमि क्षेत्रों और 10 लाख लोग जम्मू-कश्मीर में डल झील पर आते हैं।
- सांस्कृतिक महत्व आर्द्धभूमि क्षेत्र विशेष रूप से झील और तालाब (जैसे राजस्थान में पुकर झील और तेलंगाना में रामपाणी झील) स्थानीय संस्कृति से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। वे इस मान्यता को देखते हुए जनता द्वारा पूजनीय हैं कि वे लोगों की आजीविका के साधन हैं।
- आर्द्ध भूमि संरक्षण**
औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते बढ़ते मानव

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आर्द्ध भूमि ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

संरचना के दबाव के कारण आर्द्ध भूमि पर संकट बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि में ही देश ने 38 प्रतिशत आर्द्ध भूमि खो दी है।

◆ शहरीकरण और भूमि उपयोग बदलाव:

1901 से लेकर 1991 तक 90 वर्ष की अवधि में शहरी केंद्रों की संख्या दोगुनी हो गई है और शहरी आबादी में 8 गुणा बढ़ाती हुई है। इस वृद्धि से नमी वाली जमीन और बाढ़ संभावित मैदानी इलाकों पर बढ़ती आबादी के लिए पानी और भोजन की मांग पूरी करने का भारी दबाव पड़ा है।

◆ उदाहरण के लिए एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील बिहार का कांवर लेक अतिक्रमण के कारण जम्मू-कश्मीर की डल झील की तरह अपने आकार का केवल एक तिहाई रह गया है। आंध्र प्रदेश के कोलेरु लेक का लगभग 34 हजार हेक्टेयर हिस्सा हाल के वर्षों में खेतीबाड़ी के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है।

◆ कृषि अवशेष: पिछले चार दशकों में कृषि संबंधी गहन गतिविधियों के कारण भारत में उर्वरकों का प्रयोग 1973-74 के 2.8 मिलियन टन से बढ़ कर 2010-11 में 28.3 मिलियन टन हो गया है।

◆ अनुमानों के अनुसार उर्वरकों के जरिए मिट्टी में डाले गए पोषक तत्वों का 10 से 15 प्रतिशत सहज जल प्रणाली में पहुंच जाता है। अत्यधिक पोषण युक्त अवयवों के कारण जल निकायों में शैवाल वृद्धि होती है।

◆ नगर निगम और औद्योगिक प्रदूषण: शहरी केंद्रों से निकले घेरेलू गंदे पानी का 31 प्रतिशत से भी कम हिस्सा उपचारित होता है, जबकि विकसित देशों में उपचारित हिस्से का प्रतिशत 80 है। शेष गंदा पानी झरनों और नदियों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में बहा दिया जाता है।

◆ उदाहरण के लिए देश के 6 राज्यों से गुजरने वाली यमुना नदी में केवल राजधानी दिल्ली से ही प्रतिदिन 1789

मिलियन लीटर (एमएलडी) गैर-उपचारित गंदा पानी बहाया जाता है। यह यमुना नदी में प्रतिदिन प्रवाहित किए जाने वाले कुल प्रदूषण का 78 प्रतिशत है।

- ◆ इसी प्रकार गैर-उपचारित औद्योगिक स्थाव भी नमी वाली जमीन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। उदाहरण के लिए बंगलुरु में बेलांडुर लेक में आसपास के उद्योगों से रासायनिक स्थाव (विशेष रूप से पोषक तत्व युक्त झाग) के कारण मई 2015 में आग लग गई थी।
- ◆ **जलवायु परिवर्तन:** 2007 में यूनेस्को ने अनुमान लगाया कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन आर्द्ध भूमि पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षति और बदलाव का मुख्य कारण बन सकता है। यह निष्कर्ष भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पिछले दो दशकों से बाढ़ और सूखे के भीषण चक्र का सामना करता आ रहा है।

- ◆ एक अध्ययन के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा मैनगुव और प्रवाल भित्ति वाले तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित आर्द्ध भूमि अत्यधिक संवेदनशील है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगी।
- ◆ उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख में ग्लेशियर के पानी से बनने वाली त्सोपेरिर लेक के जल स्तर में बढ़ाती हुई है, जिससे काली गर्दन वाले सारस और लंबी गर्दन वाले हंसों का प्रजनन स्थल, झील के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप पानी में डूब गए हैं।

- ◆ एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल में एक मीटर की बढ़ाती ही से भारत में लगभग 84 प्रतिशत तटवर्ती आर्द्ध भूमि और 13 प्रतिशत क्षारीय आर्द्ध भूमि नष्ट हो जाएगी। इन खतरों के अलावा मूर्ति विसर्जन और धार्मिक अनुष्ठानों की सामग्री डाला जाना, नौकरशाहों, राजनेताओं और व्यापारियों की साठांठ से अतिक्रमण और अनियंत्रित मत्स्यपालन (उदाहरण के लिए कोलेरु लेक) तथा गैर-नियोजित शहरीकरण और विकास परियोजनाएं देश में आर्द्ध भूमि के अस्तित्व के समक्ष कुछ अन्य बड़े खतरे हैं।

आर्द्धभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

मिलियन लीटर (एमएलडी) गैर-उपचारित गंदा पानी बहाया जाता है। यह यमुना नदी में प्रतिदिन प्रवाहित किए जाने वाले कुल प्रदूषण का 78 प्रतिशत है।

भारत की दस और आर्द्ध भूमियों को मिला अंतर्राष्ट्रीय महत्ता टैग

आर्द्ध भूमि के संरक्षण, उद्धार और कायाकल्प के प्रति भारत सरकार के प्रयासों की ओर एक बड़ी उपलब्धि देते हुए रामसर ने 28 जनवरी 2020 को भारत की 10 और आर्द्ध भूमि साइटों को अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की साइट घोषित किया है। 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षरित रामसर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की अपनी आर्द्ध भूमियों के पर्यावरणीय पहलु को संरक्षित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुरानी अंतर शासकीय संधि है।

रामसर सूची का उद्देश्य, आर्द्ध भूमियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास करना और बनाए रखना जो वैश्विक विविधता के संरक्षण और अपने परितंत्र तत्वों, प्रक्रियाओं और लाभों के रख-रखाव द्वारा मानव जीवन को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रामसर साइट के रूप में घोषित आर्द्ध भूमि, समझौते के सख्त दिशा-निर्देशों के अधीन संरक्षित हैं।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर, ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए ट्रीट संदेश में कहा कि रामसर घोषणा, देश के महत्वपूर्ण आर्द्ध भूमियों के संरक्षण और दीर्घकालिक प्रयोग को प्राप्त करने में भारत सरकार की वचनबद्धता की एक स्वीकृति है। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आर्द्ध भूमि का संरक्षण, प्रत्येक घर में 'नल से जल' के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगा। सरकार ने जुलाई में 'नल से जल' योजना को शुरू किया जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घर तक पाइप द्वारा पानी पहुंचाना है।

इसी के साथ रामसर साइट की संख्या अब 37 हो गई है और इन साइटों द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल अब 1,067,939 हैक्टेयर है। महाराष्ट्र को अपना पहला रामसर साइट (नंदूर मधमेश्वर), पंजाब के पहले से 3 रामसर साइटों में 3 और जुड़े (केशोपुर-मियानी, बीस कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल) और उत्तर प्रदेश के पहले से 1 रामसर साइट में 6 और जोड़े गए (नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सांडी और सरसईनवर)।

पिछले छः महीनों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्ध भूमियों के उद्धार के लिए चार अद्भुत रणनीति तैयार की हैं जिसमें बेसलाइन डाटा, आर्द्ध भूमि स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना, आर्द्ध भूमि मित्रों को सूचीबद्ध करना और लक्षित एकीकृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना। मंत्रालय, इन साइटों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य आर्द्ध भूमि प्राधिकारियों के साथ काम करेगा।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियम, आर्द्धभूमि प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करते हैं, जिससे राज्यों को न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में आर्द्धभूमि की पहचान करने और अधिसूचित करने के अधिकार मिलते हैं, बल्कि वे निषिद्ध गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से 'विवेकपूर्ण उपयोग' सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए अनुमत गतिविधियों के दायरे का विस्तार भी होता है, जिससे राज्य-स्तरीय आर्द्धभूमि अधिकारियों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे तय कर सकें कि बड़े हित में क्या अनुपत्ति दी जा सकती है। अधिसूचना में कहा गया है, 'वेटलैंड्स' का संरक्षण और प्रबंधन आर्द्धभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 'विवेकपूर्ण उपयोग' सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। 'वेटलैंड्स' (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत केंद्र की भूमिका, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने, एक से अधिक राज्यों की सीमा में आने वाले आर्द्धभूमि क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुशंसा करने और - रामसर कन्वेंशन (आर्द्धभूमि संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था) के तहत चयनित वेटलैंड्स के एकीकृत प्रबंधन की समीक्षा करता है, ने के लिए - एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित को संरक्षित करें। केंद्र की भूमिका, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने, एक से अधिक राज्यों की सीमा में आने वाले आर्द्धभूमि क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुशंसा करने और - रामसर कन्वेंशन (आर्द्धभूमि संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था) के तहत चुने हुए वेटलैंड्स के एकीकृत प्रबंधन की समीक्षा करने तक सीमित होगी।

(लेखक श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी), गुरुग्राम में पर्यावरण विज्ञान विभाग में एसोशिएट प्रोफेसर हैं। ई-मेल आईडी: abhishek.swami1@gmail.com)

(चित्र: गूगल के सौजन्य से)

और अधिसूचित करने के अधिकार मिलते हैं, बल्कि वे निषिद्ध गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से 'विवेकपूर्ण उपयोग' सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित करने के दायरे का विस्तार भी होता है, जिससे राज्य-स्तरीय आर्द्धभूमि अधिकारियों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे तय कर सकें कि बड़े हित में क्या अनुपत्ति दी जा सकती है। अधिसूचना में कहा गया है, 'वेटलैंड्स' का संरक्षण और प्रबंधन आर्द्धभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 'विवेकपूर्ण उपयोग' सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। 'वेटलैंड्स' (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत केंद्र की भूमिका, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए प्रतिवर्धित होगी, यह अधिसूचना के लिए ट्रांस-बांडी वेटलैंड्स की सिफारिश करने और रामसर कन्वेंशन (आर्द्धभूमि संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था) के तहत चयनित वेटलैंड्स के एकीकृत प्रबंधन की समीक्षा करने तक सीमित होगी।

(चित्र: गूगल के सौजन्य से)